न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए / 177 / 2016

उनवान

1. खेमराज पिता हजारी तेली निवासी चतुर्भुजपुरा तहसील माण्डल जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर, भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, माण्डल के प्रकरण संख्या 136 / 2009 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 4.6.2016

अधिवक्तागण :–

1. श्री दिनेश सिसोदिया, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 25.9.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी / वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद लसाडिया तहसील माण्डल जिला भीलवाडा में स्थित कृषि आराजी नम्बर 1401 / 995 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा खातेदार पेमा पुत्र बगतावर तेली निवासी लसाडिया से वादी ने दिनांक 5.5.1987 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय कर अपने आधिपत्य में ली, तभी से वादी काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजी क्रय करने के पश्चात राज्य सरकार द्वारा वादी के पक्ष में

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

नामान्तरकरण संख्या 279 दिनांक 1.7.1987 के जरिये राजस्व अभिलेख में वादी के नाम पर अंकन की गई।

2. वादी की उक्त आराजी में से वादी को बिना सूचित किये राजस्व विभाग द्वारा जरिये नामान्तरकरण संख्या 297 दिनांक 5 जुलाई 1989 को वादी की खातेदारी अधिकार की आराजी संख्या 1041 / 995 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा के नये नम्बर 1131 / 95 कायम कर उसमें से 05 बिस्वा भूमि कम कर बिलानाम दर्ज कर दी । वादी का आराजी नम्बर 1041 / 995 के रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा भूमि में से 05 बिस्वा भूमि कम करने का अधिकार नहीं था । इसलिए वादी उक्त रकबे को पुनः अपने नाम पर अंकन कराने का अधिकारी है। इसके अभाव में वादी के हक अधिकारों का हनन होता है। इसकी प्रथम बार जानकारी दिनांक 10.8. 2008 को जब पटवारी हल्का द्वारा वादी को 05 बिस्वा भूमि पर नाजायज कब्जा करने हेतु कहने पर राजस्व रेकार्ड की नकल आवेदन दिनांक 12 अगस्त 2008 को पेश किया जो दिनांक 21 अगस्त 2008 को प्राप्त करने पर हुई। वादी नेउक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त करने हेतु राजस्व विभाग में कई बार आवेदन किया किन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की । इसके पश्चात वादी ने जरिये अधिवक्ता प्रतिवादी को दिनांक 24 फरबरी 2009 को धारा 80 जाब्ता दीवानी के तहत सूचना पत्र प्रेषित करवाया। सूचना पत्र प्राप्ति के बाद भी निश्चित अवधि गुजरने के बाद भी राजस्व रेकार्ड में कम रकबे को वादी के नाम दर्ज नहीं किया गया । अतः बजरिये डिक्री घोषणात्मक बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की जारी की जावे कि ग्राम लसाडिया तहसील माण्डल जिला भीलवाडा में वादी की आराजी नम्बर 1041 / 995 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा भूमि में से 05 बिस्वा भूमि नये नम्बर 1131 / 95 कायम कर बिलानाम दर्ज की गई, उसे राजस्व रेकार्ड में दुरूस्त कर पुनः वादीके पूर्व खाते की

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

भॉति 2 बीघा 12 बिस्वा भूमि का अंकन कराने व उसका खातेदार काश्तकार घोषित होने का अधिकारी है , इसी अनुरूप अंकन कराया जावे साथ ही निवेदन किया कि बजरिये डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा की बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की जारी की जावे कि प्रतिवादी गलत इन्द्राज की आड में वादी को विवादित रकबे से बेदखल नहीं करें व न ही किसी अन्य से करावें व न ही वादी के विरूद्ध कोई कार्यवाही ही करें / करावे।

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय वादी का वाद पत्र खारिज किया । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी / वादी ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि प्रकरण हाजा में अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 26.4.2016 की पेशी वास्ते साक्ष्य हेतु निहित थी। जिस पर आगामी तारीख पेशी दिनांक 20.9.2016 नियत की गई किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट / वादी को बिना विधिवत नोटिस की तामील कराये ही अपने स्तर पर ही प्रकरण में दिनांक 4.6.2016 की पेशी राजस्व लोक अदालत कैम्प अमरगढ पर सुनवाई हेतु नियत कर दी। जिसकी कोई जानकारी अपीलाण्ट को नहीं थी। इसी कारण अपीलाण्ट अधिनस्थ न्यायालय के लोक अदालत कैम्प में न तो स्वयं उपस्थित हो सका न उसके अधिवक्ता ही उपस्थित हो सके इस प्रकार अपीलाण्ट को बिना सुने ही अपीलाधीन निर्णय

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

एवं डिक्री पारित करना सर्वथा नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि राजस्थान सरकार ने राजस्व लोक अदालत के कैम्पग्राम पंचायत स्तर पर जन सामान्य को सुगम न्याया दिलाने एवं जन सामान्य में आपसी समन्वय, स्नेह, सौहार्द के वातावरण को प्रोत्साहित कर राजीनामे के आधार पर प्रकरणों का निस्तारण करने हेतु लोकहित में प्रारंभ किये हैं, जिसमें मात्र राजीनामे के आधार पर अर्थात दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर प्रकरणों का निस्तारण करने का ही एकमात्र ध्येय है। किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने राज्य हित की उक्त लोकनीति के विरूद्ध अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पक्षकारान की सहमति एवं स्वीकृति न होते हुए भी विधि के विपरीत अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो खारिज योग्य है।

7. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेण्ट को जवाब दावा प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 24.11.2011 को 250/—रूपये के खर्चे पर अंतिम अवसर देते हुए आगामी तारीख पेशी दिनांक 15.3.2012 नियत की तथा दिनांक 15.3.2012 को स्थानीय अवकाश हो जाने से पत्रावली दिनांक 16.3.2012 को पेश हुई किन्तु रेस्पोडेण्ट द्वारा कोस्ट परअवसर दिये जानेके उपरांत भी जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण जवाब दावा बंद किया गया तथा पत्रावली वास्ते शहादत वादी हेतु नियत कर दी गई तथा आगामी तारीख पेशी दिनांक 20.9.2016 नियत की गई किन्तु फिर भी पत्रावली दिनांक 4.6.2016 को सुनवाई हेतु नियत करते हुए बिना किसी प्रार्थना पत्र के रेस्पोडेण्ट प्रतिवादी का जवाब दावा बिना अपीलाण्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये रेकार्ड पर ले लिया । जबकि एक बार जवाब दावा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय द्वारा बंद कर दिये जाने के उपरान्त पुनः जब तक उक्त आदेश अपास्त नहीं कर दिया जाता तब तक जवाब दावे को कतई रेकार्ड पर नहीं लिया जा सकताहै। इतना ही नहीं रेस्पोडेण्ट ने पूर्व में जवाब दावा प्रस्तुत न करने के संबंध में कोई किसी प्रकार का सद्भाविक युक्तियुक्त कारण भी नहीं बताया फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेण्ट के जवाब दावे को रेकार्ड पर लेते हुए उसे सही मान अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जो अधिनस्थ न्यायालय की निष्पक्षता को अपने आप प्रश्न चिन्ह लगा संदेहास्पद बना देता है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय ने विधि के सर्वमान्य सिद्धान्तों की सर्वथा अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में भारी विधिक भूल की है।

8. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि जब पत्रावली पर वाद एवं वादोत्तर प्रस्तुत हो चुके थे तो फिर अधिनस्थ न्यायालय को इस संबंध में विधिवत तनकियात कायम कर साक्ष्य आदि लेकर प्रकरण का निर्णय करना था किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने न जाने कि कारणों से बिना तनकियात कायम किये एवं साक्ष्य के अभाव में अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया । जहॉ तक विवादित आराजियात में से 05 बिस्वा बिलानाम करने का प्रश्न है तो उस बाबत अपीलाण्ट की कोई किसी प्रकार की सहमति नहीं रही है। तो फिर उक्त बिन्दु बाबत तनकी कायम कर साक्ष्य आदि लेकर ही निर्णय पर पहॅूचा जा सकता है इतना ही नहीं अधिनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन निर्णय में यह अभिमत व्यक्त किया है कि साबिक आराजी संख्या 1041 / 995 के हाल नम्बर 1135 / 95 कायम किये गये किन्तु हाल आराजी नम्बर के बाबत मिलान क्षैत्रफल प्रस्तुत नहीं किया और न ही बिलानाम बाबत कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं। जबकि स्वयं अधिनस्थ न्यायालय ने अपने

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अपीलाधीन निर्णय में इन्तकाल संख्या 297 में आराजी संख्या 1041 / 995 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा में से 05 बिस्वा बिलानाम सरकार करने का रेकार्ड प्रस्तुत होना माना है और उक्त 05 बिस्वा का नया नम्बर 1131 / 95 कायम किया है जो प्रस्तुत इन्तकाल संख्या 297 से ही अब स्वतः प्रमाणित हो जाता है। ऐसी हालत में मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत करने की आवश्यकता ही नहीं रहती है। मिलान क्षैत्रफल हमेशा भू प्रबन्ध होने के उपरान्त ही तैयार किये जाते हैं। तो फिर मिलान क्षेत्रफल का उद्‌गम ही न होने से प्रस्तुत किये जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है वैसे भी पत्रावली पर उपलब्ध वाद एवं वादोत्तर के आधार पर न्यायालय को तनकियात कायम कर साक्ष्य आदि लेकर प्रकरण का निस्तारण करना चाहिये था। किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त विधिक सम्यक प्रक्रिया का निर्वहन न कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है। जो निरस्त योग्य है।

9. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेण्ट के वादोत्तर को सही मान अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जबकि वादोत्तर में उल्लेखित तथ्यों को साक्ष्य से प्रमाणित करना होता है अर्थात उक्त 05 बिस्वा भूमि बिलानाम करने बाबत अपीलाण्ट की सहमति रही हो इस बाबत कोई किसी प्रकार की साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं थी अर्थात पत्रावली सबूत की मोहताज थी इतना ही नहीं बिलानाम करने के उपरान्त भी कब्जा अपीलाण्ट का ही चला आ रहा था तथा पुनः अपीलाण्ट के नाम पर उक्त आराजियात खातेदारी से दर्ज करने हेतु एक रजिस्टर्ड नोटिस भी अन्तर्गत धारा 80 सी पीसी के तहत दिनांक 24.2.2009 को रेस्पोडेण्ट को दिया जिसका कोई समुचित जवाब नहीं दिया गया । अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 4.6.2016 को अपास्त फरमाते

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

हुए प्रकरण को पुनः तनकियात कायम कर साक्ष्य आदि उपरान्त निर्णय पारित करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में रिमाण्ड कियाजावे।

10. प्रत्यर्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

11. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी को अधिनस्थ न्यायालय में सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कोई तनकियात कायम नहीं की । नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना में उभयपक्ष को सुनकर निर्णय पारित नहीं किया गया है। हमनें अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी / वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 11.9.2009 को पंजीबद्ध किया गया । जिस पर विपक्षीगण को सम्मन / नोटिस जारी करने के निर्देश के साथ ही प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 13.11.2009 नियत की गई। दिनांक 13.11.2009 को प्रतिवादी की ओर से जवाब पेश करने के लिए समय चाहा गया । जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय दिया जाकर आगामी तारीख पेशी दिनांक 13.5.2010 नियत की गई। उसके उपरान्त दिनांक 19.8.2010, 18.11.2010, 17.2.2011, 12.5.2011, 18. 8.2011, की नियत तारीख पेशियों पर भी प्रतिवादी की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया । तारीख पेशी दिनांक 24.11.2011 को प्रतिवादी 250 / –रूपये की कॉस्ट पर जवाब प्रस्तुत करने का अंतिम अवसर प्रदान करते हुए

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

आगामी तारीख पेशी दिनांक 16.3.2012 नियत की गई। परन्तु नियत तारीख पेशी दिनांक 16.3.2012 को जवाब दावा प्रस्तुत नहीं करने से प्रतिवादी/पेरोकार सरकार का जवाब दावा बंद किया गया एवं प्रकरण को साक्ष्य वादी में नियत किया गया। दिनांक 31.5.2012 को प्रकरण साक्ष्य वादी में लंबित था वादी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए अवसर चाहने पर आगामी तारीख पेशी दिनांक 3.9.2012 नियत की गई। दिनांक 3.9.2012 को कार्य स्थगन होने से आगामी तारीख पेशी दिनांक 18.10.2012 नियत की गई। दिनांकं 18.10.2012 को भी बार एसोसिएशन के जरिये कार्य स्थगन होने से आगामी तारीख पेशी दिनांक 17.1.2013 नियत की गई। आगामी तारीख पेशियों दिनांक 17.12013, 25.4.2013, 19.9.2013 को पीठासीन अधिकारी के राजकार्य से बाहर होने से प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं हो पाई। दिनांक 19.9.2013 को आगामी तारीख पेशी दिनांक 17.1.2014 नियत की गई। दिनांक 17.1.2014 को वकील वादी ने साक्ष्य हेतु अवसर चाहा जिस पर अवसर दिया जाकर आगामी तारीख पेशी दिनांक 20.5.2014 नियत की गई। दिनांक 20.5.2014 को भी वादी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अवसर चाहा गया । जिस पर वास्ते साक्ष्य पत्रावली आगामी तारीख पेशी दिनांक 23.9.2014 नियत की गई। आगामी तारीख पेशियों दिनांक 23.9.2014, 13.1.2015, 22.6.2015 प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं हो पाई । दिनांक 22.6.2015 को आगामी तारीख पेशी दिनांक 20.10.2015 नियत की गई। दिनांक 20.10.2015 को वास्ते साक्ष्य आगामी तारीख पेशी दिनांक 23.6.2016 नियत की गई। दिनांक 23.6.2016 को पीठासीन अधिकारी के अन्य राजकार्य में व्यस्त होने से आगामी तारीख पेशी दिनांक 26.4.2015 नियत की गई। दिनांक 26.4.2016 को भी पीठासीन

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अधिकारी के अन्य राजकार्य में व्यस्त होने से आगामी तारीख पेशी दिनांक 20.9.2016 नियत की गई।

12. नियत तारीख पेशी दिनांक 20.9.2016 से पूर्व ही प्रकरण को दिनांक 4.6.2016 को राजस्व लोक अदालत कैम्प अमरगढ पर रखा गया । अपीलार्थी का कथन है कि नियत तारीख पेशी दिनांक 20.9.2016 से पूर्व ही प्रकरण को राजस्व लोक अदालत कैम्प अमरगढ में रखे जाने से पूर्व अपीलार्थी को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सूचित नहीं किया गया । अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रकरण को राजस्व लोक अदालत में नियत तारीख पेशी से पूर्व रखे जाने का कोई सूचना पत्र संलग्न नहीं है। जबकि प्रकरण को लोक अदालत मे रखे जाने से पूर्व उभयपक्ष को नोटिस जारी कर प्रोपर तामील कर सूचित करना आवश्यक था। चूंकि मूल वाद में पक्षकारों के हक हितों का उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, सबूत के आधार पर अंतिम तौर पर निस्तारण किया जाता है। अपीलाधीन प्रकरण में जब प्रतिवादी का जवाब दावा बंद कर दिया गया था और प्रकरण साक्ष्य वादी में नियत था तो अधिनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर निर्णय पारित किया जाता । अपीलाधीन प्रकरण में नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना में अपीलार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है।

13. अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पत्रावली में प्रतिवादी तहसीलदार, माण्डल की ओर से प्रस्तुत किया गया जवाब दावा संलग्न पाया गया । उक्त जवाब दावा दिनांक 4.6.2016 को प्रस्तुत किया गया जिस पर शामिल पत्रावली किये जाने का अंकन है। उक्त जवाब दावे के साथ पटवारी हल्का की रिपोर्ट की सत्य प्रतिलिपि

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

संलग्न है । नियत तारीख पेशी दिनांक 16.3.2012 को कॉस्ट की अदायगी के साथ जवाब दावा प्रस्तुत नहीं करने से प्रतिवादी / पेरोकार सरकार का जवाब दावा बंद किया गया। उसके उपरान्त प्रतिवादी की ओर से इस बाबत कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया था। उसके बावजूद तहसीलदार / प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत जवाब दावे को पत्रावली में संलग्न किया गया है। यद्यपि प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत उक्त जवाब दावे बाबत अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका में कोई अंकन नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत जवाब दावे के बाबत कोई अंकन आदेशिका में करते। यदि अधिनस्थ न्यायालय उचित समझता तो जवाब दावे को को रेकार्ड पर लेने के उपरान्त उपलब्ध जवाब दावे के आधार पर तनकियात कायम की जाती । परन्तु इस बाबत पत्रावली में कोई अंकन भी नहीं किया गया है उसके बावजूद पत्रावली में जवाब दावा संलग्न किया गया है।

14. राजस्व लोक अदालत कैम्प में उभयपक्ष के मध्य आपसी सौहार्द से राजीनामा होने की स्थिति में ही प्रकरण का निस्तारण किया जाना प्रस्तावित होता है। जबकि अपीलाधीन प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य कोई राजीनामा नहीं हुआ है। उसके बावजूद अपीलाधी निर्णय पारित किया गया है। फर्द अहकाम दिनांक 4.6.2016 में विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अंकित किया गया है कि वादी व प्रतिवादी के सम्मन बाद तामील / अदम तामील प्राप्त नहीं हुए। वादी व वादी के वकीकल उपस्थित नहीं । अतः स्पष्ट साबित होता है कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना में अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं कर राजस्व लोक अदालत कैम्प अमरगढ में अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

15. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 4.6.2016 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय मे प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में जवाब दावा रिकार्ड पर लिया जाकर उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर उपलब्ध साक्ष्य, रेकार्ड के आधार पर तनकीवाईज गुणावगुण के आधार पर विस्तृत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 24.10.19 को उपस्थित रहे।

16. निर्णय आज दिनांक 25.9.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

25/9/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.)